



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

## आपराधिक कृत्यों से अर्जित पन्द्रह लाख रूपए की सम्पत्ति कुर्क/जब्त

दिनांक 24.11.2022

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महमूदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 23.11.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर गोवंशीय पशुओं का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 226/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यूपी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 15,10,000/- (पन्द्रह लाख दस हजार रुपये) आंकी गयी है।

मु०अ०सं० 226/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त जहीर बाबू पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला पीलखाना पैतेपुर थाना महमूदाबाद सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं के अवैध कारोबार जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है।

अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीन खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

### जब्त/कुर्क की गयी संपत्ति का विवरण:-

- ग्राम पैतेपुर में 600 वर्ग फिट में (एक अदद) पक्का मकान अनुमानित कीमत 15,10,000/- रू० (पन्द्रह लाख दस हजार रूपए)

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त जहीर बाबू उपरोक्त –

- मु०अ०सं० 226/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर।
- मु०अ०सं० 17/15 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर।
- मु०अ०सं० 88/15 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर।
- मु०अ०सं० 188/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर।
- मु०अ०सं० 332/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर।
- मु०अ०सं० 98/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर।

